UPBL010047312022

Additional Sessions Judge - 8, Ballia

पीठासीन अधिकारी–(Sri Govind Mohan), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02687**

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र 2319/2022

मुस्ताक पुत्र स्व0 मुनीर शाह निवासी ग्राम विहरा डाबर, थाना भटनी, जिला देवरिया।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

————बनाम————

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी

मु0अ0सं0 197/2022
धारा–363,366ए,376(2)च भा0दं0सं0 व
3/4 पाक्सो एक्ट व
थाना नगरा जिला बलिया।

<u>दिनांक–13–10–2022</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मुस्ताक की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–197/2022 अन्तर्गत धारा–363,366ए,376(2)च भा0दं0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नगरा जिला बलिया के मामले जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त मुस्ताक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र 1908/2022 मु0अ0सं0–197/2022 अन्तर्गत धारा–363,366 भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना नगरा जिला बलिया धारा बढ़ोत्तरी के कारण नॉट प्रेस किया गया। तदुपरान्त उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बल न दिये जाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2022 को निरस्त किया गया। जिसके उपरान्त अभियुक्त द्वारा यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र 2319/2022 प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रश्नगत मामले की वादिनी मुकदमा हकीमुन निशा पत्नी मजीद शाह ने सम्बन्धित थाना में इस आशय की सूचना दिया कि दिनांक 08.07.2022 को समय लगभग 10:00 बजे दिन में वादिनी व वादिनी के पति के न रहने पर ग्राम सभा बिहरा डाबर थाना भटनी जिला देवरिया के मुस्ताक पुत्र स्व0 मनीर शाह व अपनी पत्नी रूबिना खातून के सहारे वादिनी की पुत्री/पीड़िता को वादिनी के घर आकर बहला फुसलाकर व लालच देकर अपने घर लेकर चला गया, जब वादिनी व उसके पति को इस बारे में सूचना मिली तब दोनों अपनी लड़की/पीड़िता को खोजते बिहरा डाबर पहुॅच गये तो वहॉ से मुस्ताक वादिनी की पुत्री/पीड़िता को कहीं और लेकर चला गया। मुस्ताक का मो0नं0 7317086374 है। वादिनी की पुत्री/पीड़िता की उम्र 17–1/2 वर्ष है। प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

वादिनी मुकदमा की सूचना के आधार पर सम्बन्धित थाना में अभियुक्तगण मुस्ताक व रूबिना खातूऩ के विरूद्ध धारा–363,366 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 7/8 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा धारा–363,366ए,376(2)च भा0दं0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र अन्य किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवायी के दौरान विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–376(2)च भा0दं0सं0 व धारा–3/4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा 7/8 पाक्सो एक्ट का लोप कर न्यायालय के समक्ष धारा–363,366ए,376(2)च भा0दं0सं0 व धारा–3/4 पाक्सो एक्ट के अपराध के आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उक्त स्थिति में दिनांक 11.10.2022 को आवेदक/अभियुक्त द्वारा मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 1908/2022 मुस्ताक बनाम उ0प्र0 न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया जिस कारण मामले में द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया मिथ्या कथनों पर गढ़कर विरचित किया गया है तथा आवेदक को मामले में अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी आवेदक /अभियुक्त सउदी अरब में रहकर नौकरी करता है जिससे वादिनी जमीन खरीदने के लिए मोटी रकम की मॉग करती रही है, जिस पर आवेदक अपनी क्षमता के अनुसार एक लाख रूपये अपनी मौसी को दिया था और जब आवेदक विदेश से वापस भारत आया तथा अपनी मौसी/वादिनी मुकदमा से पैसा वापस मांगने लगा तो वह देने से आना कानी करने लगी तथा उक्त पैसे को हड़पने का मन बना ली तथा बार बार धमकी देने लगी कि अगर पैसे की मॉग करोगे तो तुम्हे झूठे मुकदमें में फंसा दूंगी और अन्ततः एक मनगढ़न्त काल्पनिक कहानी बनाकर आवेदक व आवेदक की पत्नी रूबिना खातून को फर्जी मुकदमें में फंसा दी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक दिनांक 27.07.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अपने घर एक मात्र कमाऊ सदस्य है, जिस पर परिवार के सभी लोग निर्भर है तथा उसके जेल में निरूद्ध रहने से उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर छूटने पर अभियुक्त के पलायन की सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया तथा कथन किया गया कि पीडिता ने अपने 164 दं0प्र0सं0 के बयान में कहा है कि दिनांक 08.07.2022 को मेरी सौतेली बहन सबीना तथा

जीजा मुस्ताक मुझे कोलम्बस स्कूल के पास बुलाये, मैं वहॉ 10.30बजे दिन में पहुॅची थी। दोनों लोग मुझे बहला फुसलाकर भटनी ले गये। भटनी में किराये के मकान में मुझे अकेल रख दिये। मुस्ताक वहॉ प्रतिदिन आता था तथा मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। मेरी शादी अभी मुस्ताक से नहीं हुई है। हम लोग अपनी सहमति से संबंध बनाते थे। मैं मुस्ताक के साथ रहना चाहती हूॅ। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध संज्ञेय, गम्भीर प्रकृति का एवं आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है। समाज में आये दिन इस तरह की गम्भीर घटनाएं होने लगी है। इस प्रकार के अभियुक्तों पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। ये समाज की दशा एवं दिशा को गलत दिशा की ओर प्रभावित कर रहे हैं। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गई।

मैंने उभयपक्ष को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

पत्रावलीके अवलोकन से विदित होता है कि पूर्व में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र 1908/2022 मु0अ0सं0–197/2022 अन्तर्गत धारा–363,366 भा0दं0सं0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना नगरा जिला बलिया धारा बढ़ोत्तरी के कारण नॉट प्रेस किया गया। जिसके उपरान्त अभियुक्त द्वारा यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र 2319/2022 प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त द्वारा अवयस्क पीडिता के विरूद्ध कारित अपराध एक गम्भीर प्रकृति का अपराध है।

अभियुक्त/आवेदक कथित अपराध में नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य एवं तत्सम परिस्थितियॉ अपराध के बावत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रतीत होता है।

अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा गुण दोष पर विचार किये बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है–

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मुस्ताक का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–197/2022 अन्तर्गत धारा–363,366ए,376(2)च भा0दं0सं0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नगरा जिला बलिया निरस्त (Reject) किया जाता है।

दिनांक–13–10–2022

(गोविन्द मोहन)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–8
बलिया।

Type by-
Anees Ali,
Steno grade II